FORM NO III
फर्द अहकाम

3261/2020 (नियम 26)

6/12/20
30/1/20
25/2/20
11/3/20
30/3/20
29/4/20
29/5/20
10/7/20
24/8/20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. गानी पत्नि स्व0 रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 — वादीया

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र श्री रामदयाल, जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0 — प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा — 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 रा0भू0राजस्व

नंबर 281 / 2019

ऑन लाईन नंबर 2019 / 00....

वकील वादीया रामेश्वरलाल चौधरी — वकील प्रतिवादीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2019	यह वाद पत्र वादीया की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल चौधरी ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीया को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 23/1/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
23/1/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रतिवादी सं. 2 लगायत 8 की ओर से वकील श्री ओम सिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा प्रति सं. 9 पैरोकार सरकार के प्रतिनिधि उप. जवाब हेतु समय चाहा एव प्रति सं. 1 कि तामील कनिंदा रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम का आदमी सान्दोलिया में नही है। वकील वादी द्वारा प्रति सं. 1 कि	

15/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बहस दिनांक 25/11/2024 को पेश हो।
25/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./अनुपस्थित/वकील प्रतिवादी उप./अनुपस्थित/तलबी/जवाब/साक्ष्य/बहस ब.प.प. हेतु समय चाहा/वास्ते ब.प.प. पत्रावली दिनांक 02/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराँई (अजमेर)
2/12/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बहस दिनांक 07/12/2024 को पेश हो।
07/12/2024	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी वकील वादी ने बहस हेतु समय चाहा वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10/12/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराँई PGKJ-2024
10/12/2024	पत्रावली राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प 12 (2) राज /2020 दिनांक 24.09.2024 की पालना मे आज दिनांक 10.12.2024 को अरांई कैम्प कोर्ट मे पेश हुई वकील वादी व वादीगण उप० / वकील वादी की मय अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)
14/12/2024	पत्रावली पेश हो वकील वादी उप० / वादी मय अंतिम बहस आदेश पृथक से लिखवाया जाकर आदेश ... खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली ... होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)

अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास **श्री खेमा राम यादव** (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 281/2019 नवीन मु.नं. 328 /**2020**

1- मानी पत्नि स्व. रामदयाल जाति जाट उम्र 85 वर्ष निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान –वादीया

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
2. रामचन्द्र पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
   2/1 हगाम पत्नि स्व. रामचन्द्र
   2/2 मनीराम पुत्र स्व. रामचन्द्र
   2/3 गोपी पुत्र स्व. रामचन्द्र
   2/4 दिनेश पुत्र स्व. रामचन्द्र
   2/5 गणेश पुत्र स्व. रामचन्द्र
3. रघुनाथ पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
4. भूली पत्नि स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
5. घीसालाल पुत्र स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
6. धनराज पुत्र स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
7. राधा पुत्री स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
8. प्रेम पुत्री स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– धारा 88 (राज.का. अधि.1955)व धारा 136 भू.राज. अधि.1956
मुकदमा नम्बर:– 281/2019, नवीन 328/2020
निर्णय दिनांक:– 14.12.2021

वाद पत्र की बहस सुनने के बाद न्यायालय कैम्प कोर्ट अरांई में वकील वादी की उपस्थिती में आज तारीख 14.12.2021 को डिक्रीदार पीठसीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात,साक्ष्य वादी अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.का. अधि. 1955 व धारा 136 भू.राज. अधि.1955 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1140 खसरा संख्या 2891, 2892, 2893, 2898, 2899, 2901, 2902, 2903, 2921, 2921/1, 2922 व 2922/3511 कुल किता 12 कुल रकबा 134 बीघा 05 बीस्वा में रूघनाथ वल्द रामदयाल के स्थान पर वादीया मानी देवी पत्नि स्व. रामदयाल को 1/4 हिस्सा में खातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद को डिकी किया जाकर तहसीलदार अरांई को राजस्व रिकार्ड में उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं, शेष जमाबन्दी इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह डिक्री आज तारीख 14.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

14.12.21
खेमा राम यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अरांई (अजमेर)

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 281/2019 नवीन 328 /**2020**

1. मानी पत्नि स्व. रामदयाल जाति जाट उम्र 85 वर्ष निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान .... वादीया

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
2. रामचन्द्र पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
   - 2/1 हगाम पत्नि स्व. रामचन्द्र
   - 2/2 मनीराम पुत्र स्व. रामचन्द्र
   - 2/3 गोपी पुत्र स्व. रामचन्द्र
   - 2/4 दिनेश पुत्र स्व. रामचन्द्र
   - 2/5 गणेश पुत्र स्व. रामचन्द्र
3. रघुनाथ पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
4. भूली पत्नि स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
5. घीसालाल पुत्र स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
6. धनराज पुत्र स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
7. राधा पुत्री स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
8. प्रेम पुत्री स्व.रामरख जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– धारा 88 राज.का. अधि.1955 व धारा 136 भू.राज. अधि.1956

मुकदमा नम्बरः– 281/2019, नवीन 328/2020

आदेश

निर्णय दिनांक 14.12.2021

उपस्थितः- श्री रामेश्वरलाल वकील वादी

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की और से वकील श्रीरामेश्वरलाल जी चौधरी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 (राज.का. अधि.1955)व धारा 136 भू.राज. अधि.1956 के तहत उपखण्ड न्यायालय किशनगढ में पेश किया तथा दिनांक 10.12.2019 को जांच बाद प्रकरण 281/2019 पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

जरिये नोटिस तलबी की गई। उक्त प्रकरण नवगठित उपखण्ड न्यायालय अराईं में उपखण्ड न्यायालय किशनगढ से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पुनः 328/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में वादीगण की और से वकील वादी श्री रामेश्वरलाल जी ने दावा किया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 की संयुक्त कब्जे व काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसका राजस्व रिकार्ड निम्नानुसार है:–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1140	2891	05 बीघा
	2892	01 बीघा 16 बीस्वा
	2893	41 बीघा 03 बीस्वा
	2898	02 बीघा 12 बीस्वा
	2899	51 बीघा 06 बीस्वा
	2901	00 बीघा 05 बीस्वा
	2902	00 बीघा 12 बीस्वा
	2903	00 बीघा 02 बीस्वा
	2921	00 बीघा 01 बीस्वा
	2921/1	05 बीघा 13 बीस्वा
	2922	25 बीघा 00 बीस्वा
	2922/3511	00 बीघा 15 बीस्वा
	कुल किता 12 कुल रकबा 134 बीघा 05 बीस्वा	

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 4 लगायत 8 के पुर्वज रामरख पुत्र लादू के नाम 1/4 हिस्सा निहित है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के पूर्वज लादू पुत्र छीतर के वंशज है जिनमें मूली पत्नि लादू फौत, तथा रामदयाल,रामरख,रामचन्द्र और रघुनाथ पुत्र है। रामदयाल फौत की वारिसान मानी (पत्नि) है तथा रामरख फौत के वारिसान भूली(पत्नि) घीसालाल,धनराज,राधा तथा प्रेम हैं। वाद अधीन भूमि के सेटलमेन्ट बन्दोबस्त खसरा संख्या 3680, 3677, 3678, 3679, 3679/5842, 3602, 3603, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3612/5837, 3612/5838, 3616/5839,3668 व 3675 थे। वाद अधीन भूमि एकीकरण खसरा संख्या 2074, 2076, 2077, 2082, 2083 व 2096 थे। उक्त भूमि वादिया के पति रामदयाल देवर रामरख देवर रामचन्द्र तथा देवर रघुनाथ पिता लादू जरिये पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा खरीदा गया था तथा खरीद दिनांक से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादी वकील ने जरिये वाद आगे निवेदन किया कि वादीया के पति रामदयाल पुत्र लादू की सन् 1958 में मृत्यु हो चुकी है। वादीया के पति से वादिया के कोई भी जायन्दा सन्तान उत्पन्न नहीं हुई अर्थात वादीया ही रामदयाल पुत्र लादू की एकमात्र जीवित वारिसान थी तथा विरासत में उपरोक्त वर्णित आराजी के 1/4 में काबिज काश्त थीं। वादीया के पति की मृत्यु के पश्चात वाद अधीन आराजी की एकीकरण जमाबन्दी में वादीया के पति के स्थान प्रतिवादी संख्या 01 रघुनाथ पुत्र रामदयाल का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अमल दरामद किया गया जबकि रघुनाथ पुत्र रामदयाल का कोई भी वारिस वादिया के पति रामदयाल पुत्र लादू का नहीं था। इसी के साथ ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई तहसील अरांई स्थित अन्य कृषि आराजी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 के पूर्वज लादू पुत्र छीतर की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामा. संख्या 2189 दिनांक 28.11.2006 खाता संख्या 976 व 977 की आराजी का विरासत नामान्तरण वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 08 के पति/पिता रामरख पुत्र लादू के नाम विरासत दर्ज की गई थी जिसमें वादिया के पति रामदयाल के स्थान पर वादिया मु. मानी देवी पत्नि रामदयाल का विरासत का नामान्तरण खोला गया था। उक्त नामान्तरण में भी रूघनाथ पुत्र रामदयाल नाम के व्यक्ति का कोई इन्द्राज नहीं है जिससे यह साबित होता है कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 के परिवार में रूघनाथ पुत्र

अंराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

याल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम पंचायत सान्दोलिया का सजरा प्रमाण पत्र भी इस की पुष्ठि करता है कि रामदयाल की एकमात्र वारिसान वादीया मानी देवी है। अतः वाद ीन ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई स्थित कृषि भूमिः–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1140	2891	05 बीघा
	2892	01 बीघा 16 बीस्वा
	2893	41 बीघा 03 बीस्वा
	2898	02 बीघा 12 बीस्वा
	2899	51 बीघा 06 बीस्वा
	2901	00 बीघा 05 बीस्वा
	2902	00 बीघा 12 बीस्वा
	2903	00 बीघा 02 बीस्वा
	2921	00 बीघा 01 बीस्वा
	2921/1	05 बीघा 13 बीस्वा
	2922	25 बीघा 00 बीस्वा
	2922/3511	00 बीघा 15 बीस्वा
	कुल किता 12 कुल रकबा 134 बीघा 05 बीस्वा	

में गलत नाम रूघनाथ वल्द रामदयाल को विलोपित कर उसके स्थान पर वादिया मानी देवी पत्नि स्व. रामदयाल को 1/4 हिस्से में खातेदार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पारित की जावे।

2. उक्त वाद में दिनांक 10.12.2019 को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 को नोटिस जारी किये गये जिस कम में दिनांक 23.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 09 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये तथा प्रतिवादी संख्या 01 का नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ। तामिल कुनिन्दा रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 रूघनाथ पुत्र रामदयाल नाम का कोई आदमी ग्राम पंचायत सान्दौलिया में नही था। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 8 की और से वकील भीम सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया पैरोकार सरकार उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा। प्रतिवादी संख्या 01 रूघनाथ पुत्र रामदयाल का नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने से वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 रूघनाथ पुत्र रामदयाल की अखबार से तामिली करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।
3. दिनांक 09.04.2021 को वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 रघुनाथ पुत्र रामदयाल की अखबार साया तामिली रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल। वकील वादी द्वारा दिनांक 03.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 02 रामचन्द्र पुत्र लादू जाति जाट के फौत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसपर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुन स्वीकार किया गया वकील वादी ने संशोधित उनवान व कायम मुकाम सम्मन पेश किया। दिनांक 14.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 8 उपस्थित हुये तथा वाद पत्र की सहमति में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की अखबार साया के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा पत्रावली प्रतिवादी संख्या 09 के जवाब हेतु दिनांक 30.09.2021 को पेश हुई। सरकार जवाब पेश नहीं होने के कारण दिनांक 27.10.2021 को आदेशिका दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार अरांई को जवाब हेतु तहरीर जारी की गई।
4. दिनांक 11.11.2021 को पैरोकार सरकार द्वारा अत्यधिक समय व्यतीत होने तथा तहरीर लिखे जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बन्द किया गया । उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 8 का सहमति में जवाब प्राप्त होने के कारण वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की साक्ष्य ली गयी तथा बयान लेखबद्ध

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

किये गये। वकील वादी द्वारा वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. वास्ते साक्ष्य पेश किये। गवाहः– PW1 मानी पत्नि स्व.रामदयाल के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पर बयान लेखबद्ध कराये गये तथा वादीया द्वारा वाद पत्र के साथ पेश दस्तावेजात् प्रदर्श 01 :– जमाबन्दी खाता संख्या 1140 सम्वत 2074 से 2077 ग्राम अरांई तहसील अरांई, प्रदर्श 02 :– मूल विक्रय पत्र की प्रति 2A, प्रदर्श 03 :– मूल विक्रय पत्र प्रति 03A, प्रदर्श 04 :– मूल विक्रय पत्र प्रति 04A, प्रदर्श 05 :– मूल विक्रय पत्र प्रति 05A, प्रदर्श 06 :–जमाबन्दी विकम सम्वत 2006,प्रदर्श 07:– विक्रय पत्र का नामान्तरण संख्या 45, प्रदर्श 08:– नामान्तरण संख्या 46, प्रदर्श 09:– ग्राम अरांई वादअधीन भूमि का मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श10:– ग्राम अरांई तहसील अरांई स्थित वादअधीन भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2019, प्रदर्श11:– वाद अधीन भूमि के मिलान क्षेत्रफल ,प्रदर्श12:– ग्राम अरांई स्थित वादअधीन भूमि खसरा संख्या 453 की जमाबन्दी, प्रदर्श 13:–ग्राम पंचायत सान्दौलिया द्वारा जारी लादू वल्द छीतर ज़ाति जाट का सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2019, प्रदर्श14 :–ग्राम अरांई स्थित वादीया व प्रतिवादीगणों के खसरा संख्या 976 में दिनांक 18.11.2006 को पारित नामान्तरण की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 15 :– ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1071 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 16:–ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1072 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति। गवाह DW1 :– धनराज पुत्र स्व. रामरख ने वाद पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्यों पर सहमति दी है। गवाह DW2 :– भूली पत्नि स्व. रामरख ने वाद पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्यों पर सहमति दी है। गवाह DW3 :– गणेश पुत्र स्व. रामचन्द्र ने वादपत्र के सभी कथनों पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW4 :–दिनेश कुमार चौधरी पुत्र स्व. रामचन्द्र ने वादपत्र के सभी कथनों पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW5 :–मनीराम पुत्र स्व. रामचन्द्र ने वादपत्र पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW6 :– गोपी पुत्र स्व. रामचन्द्र ने वादपत्र पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW7 :– रघुनाथ पुत्र लादू ने वादपत्र पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW8 :– हगाम पत्नि स्व. रामचन्द्र ने वादपत्र पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW9 :–प्रेम पुत्री स्व. रामरख ने उक्त वाद पत्र पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW10 :– घीसालाल पुत्र स्व. रामरख ने उक्त वाद पत्र पर अपनी सहमति दी है। गवाह DW11 :– राधा पुत्री स्व. रामरख ने उक्त वाद पत्र पर अपनी सहमति दी है। गवाहों के शपथ पत्रों के आधार पर बयान लेखबद्ध किये गये।

5. वादी साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकत पश्चात पत्रावली दिनांक 10.12.2021 को पत्रावली वास्ते बहस हेतु राजस्व विभाग के आदेशानुसार कैम्प कोर्ट अरांई में पेश हुई। वकील वादी की मजमें आम मे बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीया के पति रामदयाल पुत्र लादू की सन् 1958 में मृत्यु हो चुकी है। वादीया के पति से वादिया के कोई भी जायन्दा सन्तान उत्पन्न नहीं हुई अर्थात वादीया ही रामदयाल पुत्र लादू की एकमात्र जीवित वारिसान थी तथा विरासत में उपरोक्त वर्णित आराजी के 1/4 में काबिज काश्त थीं। वादीया की मृत्यु के पश्चात वाद अधीन आराजी की एकीकरण जमाबन्दी में वादीया के पति के स्थान प्रतिवादी संख्या 01 रूघनाथ पुत्र रामदयाल का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अमल दरामद किया गया जबकि रूघनाथ पुत्र रामदयाल का कोई भी वारिस वादिया के पति रामदयाल पुत्र लादू का नहीं था। इसी के साथ ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई तहसील अरांई स्थित अन्य कृषि आराजी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 के पूर्वज लादू पुत्र छीतर की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामा. संख्या 2189 दिनांक 28.11.2006 खाता संख्या 976 व 977 की आराजी का विरासत नामान्तरण वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 08 के पति/पिता रामरख पुत्र लादू के नाम विरासत दर्ज की गई थी जिसमें वादिया के पति रामदयाल के स्थान पर वादिया मु. मानी देवी पत्नि रामदयाल का विरासत का नामान्तरण खोला गया था। उक्त नामान्तरण में भी रूघनाथ पुत्र रामदयाल नाम के व्यक्ति का कोई इन्द्राज नहीं है जिससे यह

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

साबित होता है कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 के परिवार में रूघनाथ पुत्र रामदयाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम पंचायत सान्दोलिया का सजरा प्रमाण पत्र भी इस बात की पुष्ठि करता है कि रामदयाल की एकमात्र वारिसान वादीया मानी देवी है। अतः वाद अधीन ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई स्थित कृषि भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1140 खसरा संख्या 2891, 2892, 2893, 2898, 2899, 2901, 2902, 2903, 2921, 2921/1, 2922 व 2922/3511 कुल किता 12 कुल रकबा 134 बीघा 05 बीस्वा(अनुसार चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2074–77) में गलत नाम रूघनाथ वल्द रामदयाल को विलोपित कर उसके स्थान पर वादिया मानी देवी पत्नि स्व. रामदयाल को 1/4 हिस्से में खातेदार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पारित की जावे।

6. हमारे द्वारा मजमें आम कोर्ट कैम्प अरांई में वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों प्रदर्श प्रदर्श 06 :–जमाबन्दी विकम सम्वत 2006,प्रदर्श 07:– विकय पत्र का नामान्तरण संख्या 45, प्रदर्श8:– नामान्तरण संख्या 46, प्रदर्श 09:– ग्राम अरांई वादअधीन भूमि का मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श10:– ग्राम अरांई तहसील अरांई स्थित वादअधीन भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2019, प्रदर्श11:– वाद अधीन भूमि के मिलान क्षेत्रफल,प्रदर्श12:– ग्राम अरांई स्थित भूमि खसरा संख्या 453 की जमाबन्दी तथा प्रदर्श 13:–ग्राम पंचायत सान्दौलिया द्वारा जारी लादू वल्द छीतर जाति जाट का सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2019, प्रदर्श14 :–ग्राम अरांई स्थित वादीया व प्रतिवादीगणों के खसरा संख्या 976 में दिनांक 18.11.2006 को पारित नामान्तरण की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 15 :– ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1071 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 16:–ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1072 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति,उपरोक्त सभी दस्तावेजों से तथा वादी एवं प्रतिवादीगणों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि श्रीमति मानी देवी पत्नि स्व. श्री रामदयाल ही वादग्रस्त ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1140 खसरा संख्या 2891, 2892, 2893, 2898, 2899, 2901, 2902, 2903, 2921, 2921/1, 2922 व 2922/3511 कुल किता 12 कुल रकबा 134 बीघा 05 बीस्वा(अनुसार चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2074–77) की बराबर 1/4 हिस्से में खातेदार है।

7. अतः मानी देवी पत्नि स्व. श्री रामदयाल को वादग्रस्त ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1140 खसरा संख्या 2891, 2892, 2893, 2898, 2899, 2901, 2902, 2903, 2921, 2921/1, 2922 व 2922/3511 कुल किता 12 कुल रकबा 134 बीघा 05 बीस्वा(अनुसार चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2074–77) की बराबर 1/4 हिस्से में रूघनाथ वल्द रामदयाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में रूघनाथ वल्द रामदयाल का नाम विलोपित कर मानी देवी पत्नि स्व. रामदयाल का अंकन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित होने के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/12/21

खेमाराम यादव
उपखण्ड अधिकारी अरांई
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)